राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1932/2016/जयपुर.

मैसर्स विशालं फिलिंग सेंटर, फुलेरा, जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–IV, वृत्त–K, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री विक्रम गोगरा, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एन. के. बैद,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 06/03/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवसायी की ओर से यह अपील अपीलीय प्राधिकारी–तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 230/अपील्स–तृतीय/15–16/के में पारित किये गये आदेश दिनांक 01.07.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें प्रत्यर्थी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–चतुर्थ, वृत्त–के, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 23, 55 व नियम 19(ए) के तहत् कर निर्धारण वर्ष 2012–13 के लिये पारित आदेश दिनांक 29.06.2015 के विरूद्ध अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील अस्वीकार की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.12(28)एफडी/टैक्स/2007–145 दिनांक 09.03.2007 के तहत पेट्रोलियम कम्पोजिशन स्कीम का विकल्प लिया हुआ है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि का कर निर्धारण आदेश दिनांक 29.06.2015 को पारित करते हुए अपीलार्थी द्वारा उक्त योजना के तहत प्रशमन राशि विलम्ब से प्रस्तुत कराये जाने के आधार पर प्रशमन योजना से बाहर करते हुए कर व ब्याज का आरोपण किया गया है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.07.2016 से अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

लगातार.....2

3. बहस के दौरान अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि उनके द्वारा त्रुटिवश प्रशमन राशि नियत समयावधि से कुछ समय पश्चात जमा करवाई गई थी, किन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा योजना के क्लॉज संख्या 5.04 के प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए प्रार्थी को योजना से बाहर किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा भी अपील अस्वीकार किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। विद्वान अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बगैर आदेश पारित किया गया है, जिसकी पुष्टि किये जाने में भी अपीलीय अधिकारी द्वारा त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

4. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश व अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अंस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. प्रकरण में यह निर्विवादित है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा पेट्रोलियम कम्पोजिशन स्कीम का विकल्प लिया हुआ है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी को उक्त योजना से इस आधार पर बाहर किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा समय पर प्रशमन राशि जमा नहीं करवाई गई है। इस सम्बन्ध में उक्त योजना के क्लॉज संख्या 4.01 का अवलोकन किया जाना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है :–

4.0 Manner of payment of Composition Amount :

4.1 The composition amount shall be paid in four quarterly installments. The installment for each quarter shall be paid by 7th day of the immediately succeedding month of the relevant quarter i.e. by July 7th, October 7th, January 7th and April 7th for the 1st, 2nd, 3rd and 4th quarter respectively. The difference, if any, as per the actual turnover of whole of the year shall be calculated and the balance of the composition amount, if any, shall be deposited by April 30th of the immediately succeeding year.

7. कर निर्धारण अधिकारी के आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रकरण के तथ्यों को विस्तृत रूप से विचारित नहीं किया जाकर, अस्पष्ट आदेश पारित किया गया है, जो स्पीकिंग ऑर्डर की श्रेणी में नहीं आता है। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है।

लगातार.....3

8. उपरोक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त, कम्पोजिशन स्कीम की शर्तों के आलोक में विधिसम्मत आदेश पुनः पारित किया जावे। यदि व्यवहारी उक्त प्रशमन योजना हेतु पात्रता नहीं रखता है तो उसका नियमानुसार कर निर्धारण आदेश पारित किया जावे, जिसमें वेट अधिनियम की धारा 18 के अनुसार भी यदि कोई आई.टी.सी. की देयता बनती है, पर भी विचार किया जावे।

9. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण उपरोक्तानुसार कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

10. निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष